तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/11/25	पक्षकारान पेश हुए। कहा उभय पक्ष नं. 1 हुए। से तहसील से पत्रांक 2025/1711 दिनांक 06/11/25 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर कार्यवाही की करना पुकारा गवाह बातचीत की बाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतरिम निर्णय व निर्णयानुसार डिक्री प्रपत्र से. तैयार करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर। पत्रावली फैसल अनुसार होकर नम्बर से दाखिल हो। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : **बीनू देवल (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 245/2025 (2025/663)

अनवान

1. सुमनरानी पत्नी नवीन कुमार मुन्दडा नि.चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. गोपाललाल पिता रंगलाल मुन्दडा नि.चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
3. अनिल कुमार पिता गोपाललाल मुन्दडा नि.चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. दिनेश चन्द्र पिता मिठूलाल मेहता नि.चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. दिनेश कुमार पिता नानालाल मेहता नि.चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
3. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री खुमराज कुमावत अधिवक्ता वादीगण

श्री बसन्ती लाल मेहता अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02

निर्णय दिनांक 14.10.2025

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए. को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम बोदियाना पटवार हल्का धनेतकंला के खाता संख्या 227 मे वर्णित आराजी नम्बर 91 रकबा 4.16 हे. स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात मे वादीया सुमनरानी का 33/136 , वादी गोपाललाल का 3/34 एंव वादी अनिल कुमार का 57/136 हक हिस्सा एंव कब्जा निहित है। मौके पर बटंवाडा नही होने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन विवाद पैदा होता है। इसलिए वादीगण यह वाद पत्र पेश कर बटंवाडा चाहता है। दिनांक 22.09.2025 को वादीगण द्वारा कब्जे अनुसार बटंवाडा करवाने की कहने से प्रतिवादीगण द्वारा मना कर देने से वाद पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बोदियाना पटवार हल्का धनेतकंला के खाता संख्या 227 मे वर्णित आराजी नम्बर 91 रकबा 4.16 हे. का वादीगण का निहित हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किए जाने का निवेदन किया।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

में रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दो संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता बसन्तीलाल मेहता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावे के अवलोकन से विदित हुआ है कि प्रतिवादीगण भी विवादग्रस्त आराजीयात मे स्वंय के निहित हक हिस्से एंव कब्जे अनुसार बटंवाडा चाहते है। उभय पक्ष बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बटंवाडा चाहते है ऐसी सूरत मे वाद बिन्दू नही किए गए। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र pw1 सुमनरानी का प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी मौजा बोदियाना खाता संख्या 227 एंव प्रदर्श–2 नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्शित करवाए। अधिवक्ता प्रतिवादी जिरह एंव साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है। ऐसी सूरत मे पत्रावली नियत दिनांक को बहस हेतू न्यायालय के समक्ष पेश हुई । बहस वाद पत्र पर योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण का निहित हक हिस्से अनुसार बटंवाडा किए जाने का निवेदन किया । इसके साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने भी प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजीयात मे निहित हक हिस्से का कब्जे की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए बटंवाडा किए जाने का अनुरोध किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर चिन्तन व मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेत प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी ग्राम बोदियाना के खाता संख्या 227 के अवलोकन से उभय पक्षकारान के कथनो की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत मे वादीगण का वादपत्र प्रमाणित पाया जाने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बोदियाना पटवार हल्का धनेतकंला तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 227 मे वर्णित आराजी संख्या 91 रकबा 4.16 हे. मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का निहित हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए तथा आवागमन हेतु सुलभ मार्ग रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन से खाता अलग कायम करने के आदेश दिए जाते है। प्रकरण मे तहसीलदार चित्तौडगढ को 2000–/ अक्षरे दो हजार रूपए शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाताहै कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर उक्तानुसार मौका के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा ट्रेस दो प्रति मे न्यायालय मे प्रस्तुत करें। निर्णय टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)